

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) केम्प:- आ.स.प. ६०२/आ.स.प. महेचान  
 प्रकरण सं:- ..... 185/2018


क्रमांक:-लो.अदा./2018/1402

दिनांक:-.....12/6/18

आदेश

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी जुना भीठा खेडा व  
 मू.अ.नि. सिणधरी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार/नायब तहसीलदार  
 सिणधरी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136  
 के अनुसरण में ग्राम आटा तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर की जमाबन्दी संवत्  
2011-74 में खाता संख्या 159 में वर्तमान को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया  
 जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-


क्र. स.	ग्राम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	आटा	159	6, 171	मोरो देवी पालना श्रीकृमासिंह	मोरो कंवर पालना श्रीकृमासिंह  शेष बट्टस्तर

  
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी  
 दिनांक:- 12/6/18

क्रमांक:-लो.अदा./2018/1403-1405

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना से रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री मोरो देवी निवासी आटा तहसील सिणधरी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

  
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी